

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल-ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

F.No 234/1311/HFW/QC/2023/ 2975

दिनांक:- 17/12/2023

सेवा में,

श्रीमान उप-सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली-110054

विषय : सातवी विधानसभा का चतुर्थ सत्र (शीतकालीन सत्र-2023), माननीय विधायक श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 138 दिनांक 18.12.2023 के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

यह पत्र आपके पत्र सं० एफ.11(बी-1)VII/2020-25/वि.स.स./प्रश्न शा./6316 दिनांक 07.12.2023 के संदर्भ में प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्त के संदर्भ में इस पत्र के साथ माननीय विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 138 का उत्तर निर्धारित प्रारूप में (100 प्रतियां) आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

यह उत्तर मा० मंत्री महोदय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, दिल्ली सरकार के अनुमोदन से प्रेषित किया गया है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार (100 प्रतियां)

भवदीय

उप-सचिव (प्र०शा०)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

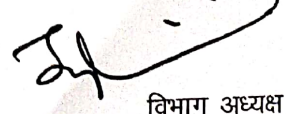
Deputy Secretary
Health & Family Welfare Deptt.
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi-02

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल-ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या : 138
दिनांक : 18.12.2023
प्रश्नकर्ता का नाम : मा0 विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा
क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कितनी ऐसी मशीनें व उपकरण हैं जो पिछले 6 महीने से अधिक से खराब पड़े हैं;	दिल्ली सरकार के अस्पतालों में लगभग सभी अस्पतालों में मशीनें व उपकरण सुचारु रूप से कार्यरत हैं एवं जिन अस्पतालों में उपकरण व मशीनें खराब हैं उनका डाटा एकत्रित किया जा रहा है।
ख	दिल्ली सरकार के अस्पतालों में खराब पड़े मशीनों/उपकरण से जुड़ी जानकारी हाल फिलहाल में विभाग को कब प्राप्त हुई;	अस्पतालों के एमएस/एमडी को हेड ऑफ डिपार्टमेंट घोषित किया जा चुका है तथा इस संबंध में अस्पताल अपने स्तर पर उचित कार्यवाही करते हैं।
ग	दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवाओं/इंजेक्शन के खरीदने से जुड़े अधिकारों में कब-कब व क्या-क्या परिवर्तन हुए विस्तृत जानकारी प्रदान करें;	उत्तर ग, घ, ड एवं च का उत्तर
घ	दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवाओं/इंजेक्शन के खरीदने से जुड़ी से अधिकारों में हुए परिवर्तन से इनकी उपलब्धता में हुई समस्या के बारे में कब-कब विभाग को सूचित किया गया, विस्तृत जानकारी प्रदान करें;	दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवाओं/इंजेक्शन के खरीदने से जुड़े अधिकारों के संबंध में कैबिनेट के निर्णय के पश्चात पत्र सं0 F.1(4)/3/DGHS/CPA/2021/59-66 dated 23.03.2022 जारी किया गया था। (प्रति संलग्न) यह परिवर्तन इसलिए किया गया था ताकि अस्पताल किसी भी दवाई के खत्म होने पर स्वयं यह खरीद सकें। पिछले वर्ष मा0 स्वास्थ्य मंत्री महोदय के आदेश पर रु0 100 करोड़ से ज्यादा की अतिरिक्त राशि सभी अस्पतालों को आवंटित की गयी थी। सभी अस्पतालों को उपरोक्त पत्र दिनांक 23.03.2022 के तहत अपने स्तर पर दवाईयां एवं इंजेक्शन खरीदने की सुविधा है।
ड	दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवाओं/इंजेक्शन/मशीनों/उपकरण खरीदने से जुड़े अधिकारों में हुए परिवर्तन के कारण किस अस्पताल ने कितनी राशि की इमरजेंसी खरीददारी की व यह कितनी राशि के थे, किस दवा स्टोर से खरीददारी हुई, विस्तृत जानकारी प्रदान करें;	अस्पतालों से प्राप्त जानकारी के आधार पर लगभग 235 ऑपरेशन थिएटर हैं जिनमें से लगभग 62 ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल नहीं हैं।
च	दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में जरूरी दवाओं की लिस्ट में से कितनी दवाएं 6 महीने से अधिक से उपलब्ध नहीं हैं;	दिल्ली सरकार के अस्पतालों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 728 ब्लड यूनिट इस्तेमाल न होने के कारण बर्बाद हुए हैं।
छ	दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में कितने ऑपरेशन थिएटर हैं व उनमें से कितने फंक्शनल नहीं हैं;	दिल्ली सरकार के अस्पतालों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 अस्पतालों में रोगी समिति का गठन हुआ है।
ज	दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में कितने ब्लड यूनिट इस्तेमाल नहीं होने के कारण बर्बाद हुए; और	
झ	दिल्ली सरकार के कितने अस्पतालों में रोगी समिति का गठन हुआ है व उनकी बैठक कब-कब हुई है, विस्तृत जानकारी दें?	

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया है।

हस्ताक्षर

विभाग अध्यक्ष
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
Dr. S.B. Deepak Kumar
Secretary (H&FW)

369/C

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE
9th LEVEL, A-WING, DELHI SECRETARIAT, DELHI
I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002
(Procurement Branch)

No F.1(4)/3/DGHS/CPA/2021/59-66

Date: 23/03/22

ORDER

In pursuance of Cabinet Decision No 3055, dated 20.12.2021 vide No.F.03/10/GAD/CN/2021/dsgadlii/4166-4175 regarding procurement of Essential Drugs through Rate Contract, Central Procurement Agency is allowed to float and finalize the rate contract of all the essential Drugs list instead of procurement of medicines from GeM in the following manner:-

a) Floating an open tender on Delhi e-Procurement website for essential and lifesaving medicines, as per the EDL, for all the Delhi Govt. healthcare providing facilities (Hospitals/Institutions/Dispensaries/AAMCs) for finalization of rate contract, by relaxing provisions of Rule 149 of GFR, instead of Procurement of these medicines through GeM Portal.

b) Procurement of the medicines in Essential Drugs List based on the Rate Contract finalized as per (a) above.

c) Till the finalization of fresh Rate Contract, procurement may be made on the following basis in declining order:-

- i. On basis of the existing Rate Contract.
- ii. If valid rate Contract does not exist, then procurement may be allowed to be made as per the last expired Rate Contract of the CPA.
- iii. Existing Rate Contract of any Government/Society Hospital under GNCT of Delhi.
- iv. Existing Rate Contract of Central Government Hospital.
- v. Local Purchase Contract of the Hospital.

This issues with prior approval of competent authority.


(S.K. JAIN)
SPECIAL SECRETARY (PROCUREMENT-H&FW)

No F.1(4)/3/DGHS/CPA/2021/59-66

Date: 25/03/22

1. Secretary to Lt. Governor, Delhi.
2. Secretary to the Chief Minister, Delhi.
3. Secretary to Dy. Chief Minister, GNCTD.
4. OSD to Chief Secretary, GNCTD.
5. PS to Principal Secretary (H&FW), GNCTD.
6. PS to Secretary (H&FW), GNCTD.
7. PA to all Special Secretary (H&FW), GNCTD.
8. DGHS, GNCTD.
9. Guard File.


(S.K. JAIN)
SPECIAL SECRETARY (PROCUREMENT-H&FW)